प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 643/2002

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक 2.8.2024

निर्णय पारित करने का दिनांक 7.8.2024

1. सत्यप्रकाश, आत्मज रामचंद्र साहू, आयु 25 वर्ष,

2. विकास, आत्मज रामचंद्र साहू, आयु 30 वर्ष, दोनों का व्यवसाय – व्यापार

3. सोना देवी, पति विकास साहू, आयु 28 वर्ष, व्यवसाय गृहिणी – **उनकी अपील दिनांक 25.11.2021 के आदेश द्वारा निरस्त की गई है**

सभी अपीलार्थीगण ग्राम कोंगाबहारी, पुलिस थाना कांसाबेल, तहसील बगीचा, जिला जशपुरनगर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं

...अपीलार्थीगण

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा– आरक्षी केन्द्र कांसाबेल, तहसील बगीचा, जिला जशपुरनगर, छत्तीसगढ़

... उत्तरवादी

अपीलार्थी क्रमांक 1 व 2 की ओर से: श्री अख्तर हुसैन, अधिवक्ता

उत्तरवादी/राज्य की ओर से: सुश्री सुनीता मानिकपुरी, उप शासकीय अधिवक्ता एवं
सुश्री प्रज्ञा श्रीवास्तव, उप शासकीय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

सीएवी निर्णय

1. यह वर्तमान अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 123/2001 में पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश दिनांक 4.6.2002 के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके अन्तर्गत अपीलार्थीगण को दोषी सिद्ध किया गया है तथा निम्नानुसार दण्डित किया गया है:

दोषसिद्धि	दण्डादेश
अपीलार्थी क्रमांक 1	
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498(क)के अधीन	2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304(ख)के अधीन	10 वर्ष का कठोर कारावास
अपीलार्थी क्रमांक 2	
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498(क)के अधीन	2 वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए का अर्थदण्ड ,अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में 2 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास

2. अभियोजन के अनुसार, कथित घटना दिनांक 13 एवं 14 मार्च, 2001 की मध्य रात्रि में प्राथमिक शाला बासेन, पुलिस थाना कांसाबेल, जिला जशपुर में घटित हुई थी। घटना की सूचना दिनांक 14.3.2001 को 11:30 बजे थादियुस लकड़ा (अ.सा. 1) द्वारा पुलिस थाना कांसाबेल में दी गई थी। उक्त सूचना के आधार पर मर्ग (प्र.पी.1) पंजीबद्ध किया गया। मर्ग जांच के पश्चात अपीलार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 24.3.2001 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.12) पंजीबद्ध की गई। अभियोजन के अनुसार, घटना के समय साधना गुप्ता (मृतका) प्राथमिक शाला बासेन में शिक्षाकर्मी वर्ग–3 के पद पर कार्यरत थी। उसका विवाह अप्रैल 2000 में अपीलार्थी सत्यप्रकाश के साथ सम्पन्न हुआ था। घटना के 15 दिन पूर्व से वह अपने ससुराल में रह रही थी तथा वहीं से अपने विद्यालय जाती थी। दिनांक 13.3.2001 को वह अध्यापन हेतु विद्यालय गई थी। उस दिन विद्यालय के प्रभारी अध्यापक लोचन प्रसाद साहू अनुपस्थित थे। विद्यालय के विद्यार्थियों के अनुसार साधना गुप्ता शाम को अध्यापन कर विद्यालय से लौटी थी। बाद में रात्रि लगभग 9 बजे उसके पति ने विद्यालय की रसोइया कुसुम से पूछा कि उसकी पत्नी साधना गुप्ता कहां है। रसोइया से ज्ञात हुआ कि साधना गुप्ता वापस चली गई थी तो वह वापस लौट आया। दिनांक 14.3.2001 को प्रातः लगभग 9:30 बजे जब रसोइया कुसुम विद्यालय पहुंची तो उसने पाया कि स्टाफ रूम जो हमेशा बंद रहता था, खुला हुआ था तथा जब वह स्टाफ रूम में गया तो उसने देखा कि साधना गुप्ता लकड़ी की कुर्सी पर मृत पड़ी थी।

3. साधना गुप्ता के विवाह के समय उसके पति/अपीलार्थी क्रमांक 1 को मोटरसाइकिल के लिए 41,000 रुपए नकद दिए गए थे तथा अन्य घरेलू सामान भी दिया गया था। विवाह के पश्चात अपीलार्थीगण साधना गुप्ता के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करने लगे। उन्होंने शराब पीकर ससुराल में उसके साथ दुर्व्यवहार किया। वे उससे वेतन का हिसाब मांग रहे थे तथा 50,000 रुपए लाने को कह रहे थे। ससुराल में दुर्व्यवहार के कारण वह अपने मायके आ गई। अपीलार्थीगण ने उसके मायके में दबाव बनाया तथा दिनांक 4.3.2001 को उसे ससुराल वापस ले गए, परंतु उसके साथ उनके क्रूर व्यवहार में कोई

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परिवर्तन नहीं आया। दिनांक 12.3.2001 को अपीलार्थीगण ने उसके साथ पुनः झगड़ा किया, जिसके फलस्वरूप दिनांक 13.3.2001 को उसने विद्यालय में अपनी ड्यूटी करने के पश्चात जहरीला पदार्थ सेवन कर आत्महत्या कर लिया। घटनास्थल के नक्शे (प्र.पी.6, पी13 और पी14) तैयार किए गए। साधना गुप्ता के शव को शवपरीक्षण हेतु प्र.पी.5 के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कांसाबेल भेजा गया। शवपरीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.9 है। साक्षियों के कथन दर्ज किए गए। जब्ती किए गए वस्तुओं को न्यायालिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। एफएसएल रिपोर्ट प्र.पी.15 है।

4. अन्वेषण पूर्ण होने पर अपीलार्थीगण के विरुद्ध अभियोग–पत्र प्रस्तुत किया गया। उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क, 304 ख तथा 306 के अधीन आरोप विरचित किए गए।

5.अपीलार्थीगण के विरुद्ध अपराध को साबित करने हेतु अभियोजन ने 15 साक्षियों का परीक्षण कराया। अपीलार्थीगण के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने स्वयं के निर्दोष होने का अभिवाक किया । उनके बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विचारण पूर्ण होने पर, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया, परंतु उन्हें इस निर्णय के प्रथम पैरा में उल्लिखित अनुसार दोषी सिद्धि किया एवं दण्डित किया। अतः, वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

7.अपीलार्थी क्रमांक 1 व 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अपीलार्थी क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध अभिलेख पर कोई साक्ष्य न होने के बावजूद उन्हें विचारण न्यायालय द्वारा दोषी सिद्धि गया है। दोषसिद्धि का निष्कर्ष संदेह एवं अनुमान पर आधारित है। विचारण न्यायालय अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में विफल रहा है। विचारण न्यायालय यह देखने में विफल रहा है कि मृतका के पिता मोतीलाल (अ.सा. 2) के कथन से यह स्पष्ट है कि मृतका और उसके पति की स्थिति में अंतर के कारण मृतका विवाह से संतुष्ट नहीं थी और इसलिए उसने हताश होकर अपनी जान दे दी। विचारण न्यायालय मृतका के विवाह के उपरांत उसके मायके में रहने के बारे में मोतीलाल (अ.सा. 2) द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को भी देखने में विफल रहा है क्योंकि इस साक्षी ने कथन किया है कि उसकी पुत्री (मृतका) की एकमात्र समस्या यह थी कि उसका कार्यस्थल बासेन था जो बंदरचुआं स्थित उसके ससुराल से बहुत दूर था और इसलिए वह महादेवधाड़ में रहना चाहती थी जहां उसका मायका था। विचारण न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में हुए विलंब को भी अनदेखा किया है। विचारण न्यायालय मृतका के छोटे भाई अशोक कुमार (अ.सा. 10) के कथन में हुए भौतिक विरोधाभासों और लोप को समझने में विफल रहा है। साक्षियों के कथनों में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया गया है जिसके आधार पर यह स्थापित किया जा सके कि मृतका को उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व दहेज की मांग के

लिए क्रूरता का सामना करना पड़ा था। अतः यह प्रार्थना की जाती है कि अपीलार्थी क्रमांक 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाए।

8. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

9. मैंने पक्षकारगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

10. इसमें कोई विवाद नहीं है कि साधना गुप्ता अपने विवाह के 7 वर्ष के भीतर ही अपने कर्तव्य स्थल पर अप्राकृतिक अवस्था में मृत पाई गईं।

11. मृतका के पिता मोतीलाल (अ.सा. 2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कंडिका 1 व 2 में अपीलार्थीगण के विरुद्ध कथन किया है, परंतु प्रतिपरीक्षण के कंडिका 3 में उसने स्वीकार किया है कि विवाह के एक–डेढ़ माह के पश्चात शाला खुलने पर जब मृतका महादेवधाड़ गई, जहां उसका मायका था, तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि महादेवधाड़ जाने से पूर्व उसने अपीलार्थीगण के विरुद्ध कुछ कथन नहीं किया था। कंडिका 5 में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि मृतका स्वतंत्र विचारों वाली थी। उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि मृतका का मानना था कि चूंकि वह पढ़ी–लिखी है, इसलिए वह जहां भी रहेगी, नौकरी करेगी। उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि मृतका का यह भी मानना था कि यदि उसकी विवाह किसी नौकरीपेशा व्यक्ति से हो जाए तो यह उसके लिए अच्छा रहेगा। इस साक्षी ने आगे यह भी कहा है कि उसने मृतका की विवाह किसी नौकरीपेशा पुत्र से करने का प्रयास किया था, परंतु उसकी उम्र मृतका से कम थी और इसलिए उनका विवाह नहीं हो सका।

12. पैरा 6 में, मोतीलाल (अ.सा.–2) ने स्वीकार किया है कि विवाह के एक–डेढ़ माह पश्चात शाला खुलने पर मृतका महादेवधाड़ स्थित उसके घर वापस आ गई थी और वह उसके घर से बासेन आती–जाती थी। उसने आगे यह भी स्वीकार किया है कि जब भी अपीलार्थी मृतका को अपने साथ वापस लाने के लिए उसके घर आते थे, तो उन मौकों पर मृतका कहती थी कि बासेन स्थित उसका शाला बंदरचुआं से बहुत दूर है और बंदरचुआं से बासेन स्थित शाला में जाना उसके लिए संभव नहीं है और इसलिए वह महादेवधाड़ में रहकर बासेन स्थित अपने शाला में पढ़ने की इच्छा व्यक्त करती थी। इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि मृतका के साथ यही एकमात्र समस्या थी। पैरा 7 में, इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि हर पिता की इच्छा होती है कि विवाह के बाद उसकी पुत्री लंबे समय तक अपने ससुराल में रहे, परंतु मृतका अपने ससुराल में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मृतका के पति की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिक्षा मृतका से कम थी, अतः उनके मध्य समन्वय का अभाव था और इसलिए वह उसके साथ नहीं रहना चाहती थी।

13. पैरा 13 में मोतीलाल (अ.सा. 2) ने स्वीकार किया है कि मृतका की अपीलार्थी क्रमांक 1 से विवाह से पूर्व, अपीलार्थी क्रमांक 2 व 3 अपीलार्थी क्रमांक 1 से अलग रह रहे थे। उसने आगे स्वीकार किया है कि विवाह के उपरांत, सभी अपीलार्थी एक साथ रहने लगे एवं यह तथ्य उसे मृतका ने बताया था।

14. मृतका की मां गिरिजादेवी (अ.सा. 3) ने कंडिका 5 में स्वीकार किया है कि उन्होंने मृतका का विवाह अपीलार्थी क्र. 1 के साथ उसके परिवार को देखने तथा उसके जीवन स्तर से संतुष्ट होने के पश्चात किया था। उसने आगे स्वीकार किया है कि यह विवाह कांसाबेल स्थित भगवान शिव के मंदिर में सम्पन्न हुआ था। उसने आगे स्वीकार किया है कि विवाह के 2–3 दिन पश्चात अपीलार्थी क्र.1 स्वयं मृतका को उसके मायके महादेवधाड़ ले आया था। उसके 8–10 दिन पश्चात अपीलार्थी क्र.1 मृतका को महादेवधाड़ से अपने साथ ले गया था। मृतका का शाला पुनः खुलने पर अपीलार्थी क्र.1 उसे पुनः महादेवधाड़ ले आया था। उसने आगे स्वीकार किया है कि अपीलार्थी क्र.1 मृतका का शाला पुनः खुलने पर उसे महादेवधाड़ ले आया था, ताकि उसे महादेवधाड़ से बासेन स्थित अपने शाला में जाने में सुविधा हो सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. कंडिका 11 में गिरिजादेवी (अ.सा. 3) ने स्वीकार किया है कि अपीलार्थीगण एवं उनके परिवार के सदस्य मृतका को उसके मायके से अपने साथ ले जाने के लिए बार–बार कह रहे थे, लेकिन मृतका स्वयं जाना नहीं चाहती थी। उसने आगे स्वीकार किया है कि मृतका के मायके जाने से इंकार करने पर मृतका के मायके पक्ष की ओर से उन्हें पत्र लिखकर मृतका को उसके मायके भेजने अथवा न भेजने की स्थिति में इस संबंध में अपना पक्ष व्यक्त कर अवगत कराने के लिए कहा गया था। उक्त पत्र के आधार पर इस साक्षी के पति ने ग्राम बंदरचुआं जाकर अपीलार्थी क्रमांक 1 के पिता से मृतका के मायके जाने तक प्रतीक्षा करने को कहा था। इस साक्षी ने आगे स्वीकार किया है कि इस यात्रा के बाद भी जब मृतका अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, तो उसके मायके के परिवार के सदस्य उसे अपने साथ ले जाने के लिए महादेवधाड़ आए थे। इस साक्षी ने आगे स्वीकार किया है कि इसके बाद भी मृतका अपने मायके जाने से इंकार कर गई थी। इस पर मृतका द्वारा अपने ससुराल जाने से इंकार करने पर उसके मायके वालों ने उससे तलाकनामा लिखवाने को कहा था।

16. मृतका के भाई अजय कुमार गुप्ता (अ.सा. 9), अशोक कुमार (अ.सा. 10) और सुभाष गुप्ता (अ.सा. 14) ने मोतीलाल (अ.सा. 2) और गिरिजादेवी (अ.सा. 3) के साक्ष्य के समर्थन में कथन किया है।

17. थाडियस लकड़ा (अ.सा. 1), जिसकी सूचना पर शवगृह (प्रदर्श पी.1) पंजीकृत किया गया था, ने कंडिका 4 में अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जब भी वह बासेन जाता था तो उसकी मुलाकात मृतका से होती थी, लेकिन, उसने कभी भी अपने साथ हुई घटनाओं के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। उसने स्वीकार किया है कि मृतका हमेशा खुश रहती थी और अपना कार्य ठीक से करती थी।

18. नीलकुसुम खेस (अ.सा. 8) ने साधना गुप्ता की मृत्यु की घटना के बारे में अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है। अपने प्रतिपरीक्षण में कंडिका 5 में उसने स्वीकार किया है कि मृतका महादेवधाड़ से बासेन स्थित शाला आती थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि अपनी मृत्यु की तिथि को भी मृतका महादेवधाड़ से पढ़ाने के लिए बासेन आई थी।

19. डॉ. अशोक कुमार सान्याल (अ.सा. 13), जिन्होंने साधना गुप्ता के शव का शवपरीक्षण किया था, ने कथन किया है कि मृत्यु की प्रकृति आत्महत्या थी। उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 है।

20. एफएसएल रिपोर्ट (प्रदर्श पी15) में कहा गया है कि घटनास्थल से जब्त किए गए वस्तु ए अर्थात् मृतका की उल्टी, वस्तु बी अर्थात् मृतका की साड़ी, वस्तु सी और डी अर्थात् मृतका के विसरा के टुकड़ों में ऑर्गनोफॉस्फोरस कीटनाशक 'फॉस्फामिडोन' पाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. प्रदर्श पी 2 के अनुसार, मृतका द्वारा अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ की गई क्रूरता के विरुद्ध लिखा गया एक अहस्ताक्षरित नोट घटनास्थल से जब्त किया गया। परंतु, अभियोजन द्वारा यह नोट प्रदर्शित नहीं किया गया है और न ही किसी हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट अभिलेख में प्रस्तुत की गई है जिसमें दावा किया गया हो कि मृतका ही उक्त नोट का लेखक था।

22. इस स्तर पर, विषयगत विवाद्यक पर माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर विचार करना उचित होगा।

23. एआईआर 2014 एससी 2555 (मनोहर लाल विरुद्ध हरियाणा राज्य) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया:

> **"19.** भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ख तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ख में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व " पर इस न्यायालय ने हीरा लाल व अन्य विरुद्ध राज्य (एनसीटी सरकार), दिल्ली, (2003) 8 एससीसी 80:(एआईआर 2003 एससी 2865) में अभिव्यक्त किया है, जो निम्नानुसार है:

"8. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–ख जो दहेज मृत्यु से संबंधित है, निम्नानुसार है:

"304 ख.दहेज मृत्यु –(1) जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ समय पूर्व उसके पति ने या उसके पति के नातेदार ने, दहेज की किसी मांग के लिए,या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी, या उसे तंग किया था वहा ऐसी मृत्यु को " दहेज मृत्यु" कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज" का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम,1961] (1961 का 28) की धारा 2 में है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) जो कोई भी दहेज मृत्यु कारित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा।"

यह प्रावधान तब लागू होता है जब किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति के कारण होती है या उसकी विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी और कारण से होती है और यह दर्शाया जाता है कि उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसे दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–ख, को इस घटना से जोड़ने हेतु, आवश्यक घटक निम्नानुसार हैं:

(i) स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति या सामान्य परिस्थिति के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो।

(ii) ऐसी मृत्यु उसकी विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो।

(iii) उसे उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

(iv) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित हो।

(v) यह दर्शाया गया है कि स्त्री की मृत्यु से कुछ समय पूर्व उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113–ख भी इस प्रकरण के लिए सुसंगत है। जैसा कि पूर्व उल्लेख किया गया है, दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम 43,1986 द्वारा दहेज मृत्यु के बढ़ते खतरे से निपटने के उद्देश्य से भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–ख तथा धारा 113–ख दोनों को सम्मिलित किया गया था। धारा 113–ख निम्नानुसार है:

"113 ख. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा–जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनों के लिए "दहेज मृत्यु" का वही अर्थ है जो भारतीय दण्ड संहिता (860 का 45) की धारा 304 ख में है।]

इन दोनों प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता का भारत के विधि आयोग ने 10.8.1988 को अपनी 21 वीं रिपोर्ट "दहेज मृत्यु तथा विधि सुधार" में पर्याप्त विश्लेषण किया है। दहेज से संबंधित मृत्यु को साबित करने के लिए साक्ष्य प्राप्त करने में पूर्व से मौजूद विधि में बाधा को ध्यान में रखते हुए, विधानमंडल ने कुछ आवश्यक तथ्यों के साबित होने पर दहेज मृत्यु की धारणा से संबंधित प्रावधान को शामिल करना उचित समझा। इसी पृष्ठभूमि में साक्ष्य अधिनियम में प्रकल्पित धारा 113–ख को शामिल किया गया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304– ख में "दहेज मृत्यु" की परिभाषा और साक्ष्य अधिनियम की प्रकल्पित धारा 113– ख में शब्दों के अनुसार, दोनों प्रावधानों में अन्य तथ्यों के अलावा एक आवश्यक घटक यह है कि संबंधित स्त्री को "उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व" दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा होगा। धारा 113– ख

के अधीन उपधारणा विधि का उपधारणा है। इसमें उल्लिखित आवश्यक तथ्यों के साबित होने पर, न्यायालय के लिए यह उपधारणा करना अनिवार्य हो जाता है कि अभियुक्त ने दहेज मृत्यु का कारण बनाया है। यह उपधारणा केवल निम्नलिखित आवश्यक तथ्यों के साबित होने पर ही लगाया जाएगा:

(1) न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त ने स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है। (इसका अभिप्रेत है कि यह उपधारणा तभी लगाया जा सकता है जब अभियुक्त पर धारा भारतीय दण्ड संहिता की 304–ख के अधीन अपराध कारित करने हेतु विचारण चलाया जा रहा हो)।

(2) स्त्री को उसके पति या उसके नातेदारों द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।

(3) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित था।

(4) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"इस न्यायालय द्वारा बलवंत सिंह व अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य (2004) 7 एससीसी 724: (एआईआर 2005 एससी 1504) में भी इसी प्रकार अवधारित किया गया था।
उक्त प्रकरण में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

"10. ये निर्णय और इस न्यायालय के अन्य निर्णय निकटता परीक्षण निर्धारित करते हैं। इस न्यायालय के कई निर्णयों में यह दोहराया गया है कि "शीघ्र ही पूर्व" एक अभिव्यक्ति है जो लोच की अनुमति देती है, और इसलिए निकटता परीक्षण को प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को विचार में रखते हुए लागू किया जाना चाहिए। तथ्यों को दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और पीड़िता की मृत्यु के बीच एक निकटवर्ती जीवंत संबंध के अस्तित्व को दिखाना चाहिए।"

20. वर्तमान प्रकरण में, अ.सा. 1 के कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई थी। निःसंदेह, मृतक की मृत्यु जलने के कारण हुई

थी,अर्थात् सामान्य परिस्थितियों में नहीं। अब हमें यह देखना है कि अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए शेष दो घटक संतुष्ट हैं या नहीं।

24. (2008) 1 **एससीसी 202 (बिस्वजीत हलदर विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य)** में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे निम्नानुसार अवधारित किया:

> **"13.** यदि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–ख को साक्ष्य अधिनियम की धारा 113–ख के साथ पढ़ा जाए, तो एक व्यापक तस्वीर उभरती है कि यदि विवाहित स्त्री अपने विवाह के 7 वर्ष के भीतर अपने ससुराल में अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत जाती है और पति या पति के नातेदारों द्वारा दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित ऐसी विवाहित स्त्री पर क्रूरता या उत्पीड़न के आरोप हैं, तो प्रकरण सीधे तौर पर "दहेज मृत्यु" के अंतर्गत आएगा और पति और नातेदारों के विरुद्ध एक उपधारणा होगा।
>
> 14. इस प्रकरण में हम पाते हैं कि व्यावहारिक रूप से यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित कोई क्रूरता या उत्पीड़न हुआ था। इस संबंध में भी कोई निष्कर्ष नहीं है। साक्ष्य में यह कमी अभियोजन के प्रकरण के लिए घातक साबित होती है। वैसे भी क्रूरता और उत्पीड़न का मात्र साक्ष्य ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304–ख के अधीन विचारण चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा यह भी दिखाना होगा कि ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उससे संबंधित था। (देखें कांची कोमुरम्मा विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य, 1995 सप (4) एससीसी 118) चूंकि अभियोजन उस पहलू को साबित करने में विफल रहा,अतः दर्ज किए गए दण्ड को यथावत नहीं रखा जा सकता। "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. **एआईआर 2016 एससी 5313 (बैजनाथ विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य**) में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:"

> **"35.** इस न्यायालय ने अक्सर संहिता की धारा 304 ख और अधिनियम की धारा 113 ख के दायरे और उद्देश्य पर विचार करते हुए यह प्रतिपादित किया है कि यह उपधारणा इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अभियोजन पूर्व धारा 304 ख के अपराध के घटकों को स्पष्ट करता है, जैसा कि शिंदो उर्फ सविंदर कौर व अन्य विरुद्ध पंजाब राज्य – (2011) 11 एससीसी 517: (2011 एआईआर एससीडब्लू 6556) तथा राजीव

कुमार विरुद्ध हरियाणा राज्य– (2013) 16 एससीसी 640: (एआईआर 2014 एससी 227) में दोहराया गया है। पश्चातवर्ती निर्णय में, इस न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि संहिता की धारा 304 ख के अधीन दहेज मृत्यु के आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि अभियुक्त ने स्त्री की मृत्यु से कुछ समय पूर्व दहेज की मांग के संबंध में उसके साथ क्रूरता की होगी और इस घटक को अभियोजन द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए और उसके बाद ही न्यायालय यह उपधारण लेगा कि अभियुक्त ने अधिनियम की धारा 113 ख के अधीन दहेज मृत्यु का अपराध कारित किया है। इसने के. प्रेरणा एस. राव विरुद्ध यदला श्रीनिवास राव– (2003) 1 एससीसी 217: (एआईआर 2003 एससी 11) में इस न्यायालय के पूर्व के निर्णय का अनुमोदन सहित उल्लेख किया कि संहिता की धारा 304 ख के प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, अपराध के मुख्य तत्वों में से एक जिसे स्थापित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि "उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व" उसे "दहेज की मांग के संबंध में" क्रूरता और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त अवलोकनों को दृष्टिगत रखते हुए, इस प्रकरण के अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के सूक्ष्म विवेचन से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि मृतका की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर अप्राकृतिक स्थिति में हुई थी, परंतु, यह मृत्यु दहेज की मांग या अपीलार्थीगण द्वारा उसके साथ की गई किसी क्रूरता के कारण हुई थी, यह स्थापित नहीं है। वर्तमान प्रकरण ऐसा नहीं है, जहां 'उसकी मृत्यु से कुछ समय पूर्व' उसे दहेज की मांग के संबंध में किसी भी अपीलार्थी द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो।

27. परिणामस्वरूप, अपील **स्वीकार** की जाती है। दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी क्रमांक 1 व 2 को दोषमुक्त किया जाता है।

28. अपीलार्थी क्रमांक 1 व 2 को जमानत पर बताया गया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 क के अधीन उनके जमानत बंधपत्र 6 माह की अवधि हेतु जारी रहेंगे। तत्श्चात, उक्त बंधपत्र निरस्त माने जाएंगे।

29. आवश्यक अनुपालनार्थ इस निर्णय की एक प्रति सहित विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलंब प्रतिप्रेषित किया जाए।

सही/–

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur